



थाना चाँदपुर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित एवं 25000/- रुपये का इनामी अभियुक्त महीपाल अवैध तमंचे सहित गिरफ्तार ।

दिनांक 17.11.2020 को वादी श्री रोहताश सिंह पुत्र नत्थवा निवासी ग्राम जमालुद्दीनपुर थाना चांदपुर जनपद



बिजनौर ने तहरीर देकर अवगत कराया कि 1- ओमप्रकाश 2- महीपाल पुत्रगण छतरू निवासीगण जमालुद्दीनपुर थाना चांदपुर द्वारा मेरे पुत्र सोनू कश्यप की जंगल ग्राम जमालुद्दीनपुर में चाकू मारकर हत्या कर दी है। वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 654/2020 धारा 302/201 भादवि0 बनाम ओमप्रकाश आदि 02 नफर पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र छतरू उपरोक्त को दिनांक 18.11.2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। सहअभियुक्त महीपाल पुत्र छतरू घटना के बाद से ही बादस्तूर

फरार चल रहा था जिसके विरुद्ध माननीय न्याय सीजेएम बिजनौर से एन0बी0डब्लू व दिनांक 07.07.2021 को 82 सीआरपीसी प्राप्त कर कार्यवाही की जा चुकी है।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा वांछित अभियुक्त महीपाल पुत्र छतरू की गिरफ्तारी पर 25000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया। इसी क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय नगर एवं क्षेत्राधिकारी चांदपुर के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 08.10.2021 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे अभियुक्त महीपाल पुत्र छतरू निवासी ग्राम जमालुद्दीनपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को मय एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस 315 बोर के कस्बा चांदपुर में नूरपुर बस स्टेण्ड के पास से समय करीब 9.45 बजे गिरफ्तार किया गया।

नाम पता अभियुक्त

1. महीपाल पुत्र छतरू निवासी ग्राम जमालुद्दीनपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी

01 तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त महीपाल पुत्र छतरू निवासी ग्राम जमालुद्दीनपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने पूछताछ पर बताया कि हम गांव में बाहर से शराब लेकर आते थे तथा अपने दोस्तों के साथ शराब पीते थे। हमारा पडोसी सोनू पुत्र रोहताश इस बात का विरोध करता था। इसी बात को लेकर हम दोनों भाईयों की सोनू से कहासुनी भी हो गयी थी। जिस कारण हम उससे रंजिश रखते थे तथा उसको सबक सिखाना चाहते थे। दिनांक 16.11.2020 को शाम के समय सोनू मछली पकड़ने रतन के गन्ने के खेत के पास महती पर जंगल ग्राम जमालुद्दीनपुर गया था तभी हम दोनों भाईयों ने मिलकर चाकू मारकर सोनू की हत्या कर दी थी तथा सोनू के शव को वही रतन के गन्ने के खेत में डाल दिया था मेरा भाई ओमप्रकाश तभी अगले ही दिन गिरफ्तार हो गया था तथा मैं जब से गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर उधर छिपता -छुपाता घूम रहा था।

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अपराध

1. मु0अ0सं0 654/2020 धारा 302/201 भादवि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 522/2021 धारा 174 ए भादवि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 523/2016 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 638/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. श्री मनोज कुमार प्रभारी निरीक्षक 2. उ0नि0 श्री श्यामवीर सिंह 3. का0 409 विवेक कुमार 4. का0 1620 अनुज कुमार

थाना चाँदपुर:- थाना चाँदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त रहमान पुत्र अजीज निवासी मोहल्ला सराय रफी कस्बा व थाना चाँदपुर जिला बिजनौर को एक नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया । जिस के संबंध में थाना पर मुकदमा अपराध संख्या 637 / 21 धारा 4/25 arms act पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना चाँदपुर:- थाना चाँदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त छत्रपाल पुत्र नत्थू सिंह निवासी रामलीला ग्राउंड मोहल्ला सराय रफी कस्बा व थाना चाँदपुर को संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 629/21 धारा 354 (क) भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना चाँदपुर:- थाना चाँदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त शमशाद पुत्र महमूद निवासी मोहल्ला पतियापाड़ा कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर को 01 सट्टा पर्चा, 01 पेन व 270 रुपये नगद सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना चाँदपुर पर मु0अ0सं0 635/21 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



थाना मंडावर:- थाना मंडावर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 248/21 धारा 363/376 आईपीसी व 3/4 पोक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त गौरव पुत्र महेंद्र निवासी ग्राम गुनियापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना धामपुर:- थाना धामपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त तालिब पुत्र नासिर निवासी मोहल्ला मनिहारी सराय पहाड़ी दरवाजा व मुशाहिद पुत्र मोहम्मद नासिर निवासी मोहल्ला मनिहारी सराय पाली दरवाजा कस्बा व थाना धामपुर को अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना शेरकोट:- थाना शेरकोट पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त अजीम खान पुत्र समीम खान निवासी मोहल्ला कायस्थान कस्बा व थाना शेरकोट संबंधित वाद संख्या 323/ 18 धारा 420/ 406 /504/ 506 /व 3(1)द घव एससी एसटी एक्ट थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना स्योहारा:- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 460/21 धारा 498a/323/504/506/354 आईपीसी व 3/4 दहेज अधिनियम तथा 3/4 मुस्लिम विवाह अधिनियम में अभियुक्त फिरोज पुत्र निजामुद्दीन निवासी फैजुल्लापुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना नजीबाबाद:- थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा दो अभियुक्त 1.संजीव पुत्र निहाल सिंह 2.पीयूष उर्फ सोनू पुत्र संजीव कुमार निवासी गली नंबर 1 आदर्श नगर थाना गाजियाबाद जनपद बिजनौर को अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना नजीबाबाद:- थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 537/21 धारा 354/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अंसार अली पुत्र श्री इनाम अली नि0 ग्राम कमालपुर उर्फ खाईखेडी थाना नजीबाबाद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



मिशन शक्ति अभियान फेस-03



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत कोतवाली शहर टीम व महिला थाना प्रभारी द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिक्षकों की उपस्थिति में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत श्रीमान क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद महोदय एवं उप जिला मजिस्ट्रेट नजीबाबाद महोदय द्वारा ग्रीन पब्लिक स्कूल में शिक्षकों व अन्य स्टाफ की उपस्थिति में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत श्रीमान क्षेत्राधिकारी अफजलगढ़, जिला प्रभारी एंटी रोमियो, प्रभारी निरीक्षक अफजगढ़ द्वारा भूतपूर्व सैनिक इण्टर कॉलेज कादराबाद, अफजलगढ़ में शिक्षकों की उपस्थिति में बालिकाओं/छात्राओं को आत्मरक्षा एवं आत्मनिर्भर बनने के लिए जागरूक किया गया एवं महिलाओं सम्बन्धी हो रहे विभिन्न अपराधों के विरुद्ध आवाज उठाने एवं उन्हें अपनी आत्मरक्षा स्वयं मौके पर ही कैसे करनी है उदाहरण देकर उन्हें बताया गया और उन्हें सशक्त बनने के लिए भी जागरूक किया गया । इस दौरान सड़कों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया ।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेज-3 के अन्तर्गत थाना धामपुर पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत थाना हीमपुरदीपा पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र के गांव फतेहपुर कला में महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत थाना स्योहारा पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र के गांव चकमहमूदशानी में महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत थाना शेरकोट पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र के मौ0 कस्बा नौधना में महिलाओं/बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत थाना हल्दौर पुलिस टीम द्वारा R.H.S इण्टर कालेज में शिक्षकों की उपस्थिति में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

